न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2025-175RAAJodhpur2025-72RTA223 Gangaram Vs Aaseedevi etc

गंगाराम पुत्र उदाराम, जाति जाट, निवासी-ग्राम चिमाणा, तहसील घंटियाली, जिला फलोदी।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. आसीदेवी पत्नी उदाराम,
2. धन्नाराम पुत्र उदाराम
3. पीथाराम पुत्र उदाराम
   जातियान जाट निवासीगण - ग्राम चिमाणा, तहसील घंटियाली, जिला फलोदी

रेस्पोडेंट्स.....

4. लाली पत्नी गंगाराम जाति जाट निवासी - ग्राम चिमाणा, तहसील घंटियाली, जिला फलोदी।
5. यूको बैंक शाखा घंटियाली, जरिये शाखा प्रबन्धक तहसील घंटियाली, जिला फलोदी।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार घंटियाली, जिला फलोदी।

परफोर्मा रेस्पोडेंट्स....

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17 फरवरी 2025 सहायक कलक्टर बाप राजस्व मूल वाद संख्या 186/2024 आसीदेवी व अन्य बनाम गंगाराम इत्यादि

उपस्थित-

श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री रमेश कुमार सागर, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या एक से तीन
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या छः

नि र्ण य

दिनांक : 29 मई 2026

अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाप द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 186/2024 अनवान आसीदेवी व अन्य बनाम

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

गंगाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17 फरवरी 2025 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 02 अप्रैल 2025 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या एक से तीन ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 51 रकबा 5.7627 हैक्टेयर ग्राम चिमाणा तहसील घंटियाली के संबंध में धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 29 अक्टूबर 2024 को निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी कर बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने का आदेश दिया गया। तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचारण न्यायालय द्वारा द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17 फरवरी 2025 के जरिये वाद स्वीकार कर लिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय में अपीलार्थी को सुनवाई का कोई मौका ही नही दिया गया है। निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार घंटियाली द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व अपीलार्थी को कभी कोई नोटिस जारी नही किया न ही मौके पर आने की कोई सूचना दी गई एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 ता 3 से मिली भगत कर उनके कहे अनुसार मौके पर पक्षकारान् के कब्जे एवं मौके की विपरीत तैयार किया गया है। अपीलार्थी के कुछ हिस्से को प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 के कब्जे में दर्शा दिया गया है एवं जमाबन्दी में दर्ज सभी प्रतिवादीगण का हिस्सा अलग न करते हुए केवल वादीगण व प्रतिवादीगण दो नाम लिखकर नक्शा तैयार किया गया है। विभाजन का नक्शा मौके और कब्जे के बिल्कुल ही विपरीत है। धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के वाद में संयुक्त खातेदारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

की भूमि में विभाजन में प्रत्येक सहखातेदार को अपने हिस्से तक आने जाने के लिए रास्ते दिया जाने का प्रावधान है। इस प्रकरण में तहसीलदार घंटियाली द्वारा विभाजन प्रस्ताव में अपीलार्थी उसके हिस्से तक पहुँचने के लिए रास्ते के लिए भूमि नही छोड़ी गई, क्योंकि मौके पर कब्जा व काश्त रास्ते से दूर है। विचारण न्यायालय द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर अपीलार्थी को एतराज पेश करने का कोई अवसर दिये बिना उसी दिन मामले में विभाजन प्रस्ताव स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय व अन्तिम डिकी पारित कर दी जो प्राकृतिक न्यायिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाप द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 186/2024 अनवान आसीदेवी व अन्य बनाम गंगाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17 फरवरी 2025 को अपास्त किया जावे एवं मामला विचारण न्यायालय को इन दिशा निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जावे कि वे अपीलार्थी की मौजूदगी में तहसीलदार घंटियाली मौके पर जाकर नियम 18 से 21 की पालना करते हुए पुनः विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अपीलार्थी को रास्ता उपलब्ध कराते हुए विभाजन प्रस्ताव पेश करे एवं विभाजन प्रस्ताव पर उभयपक्ष को सुनकर पुनः निर्णय व अन्तिम डिकी जारी की जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट्स के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि तहसीलदार घंटियाली द्वारा नियम 18 से 21 की पूर्ण पालना करते हुए मौके पर पक्षकारान् के कब्जे काश्त अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है। अपीलांट की ओर से विभाजन प्रस्ताव आपति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर विचारण न्यायालय द्वारा विभाजन प्रस्ताव विधिनुसार सुनवाई करते हुए विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील सारहीन होने खारिज फरमायी जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव दिनांक 23.12.2024 के अवलोकन मुताबिक तहसीलदार घंटियाली द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव तैयारी से पूर्व अपीलार्थी को सम्यक रूप से सूचित किये बिना, उसकी अनुपस्थिति में मौके पर पक्षकारान् के वर्तमान कब्जे काश्त को ध्यान में रखे बिना अपीलार्थी के कब्जे काश्त के विपरीत विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाना पाया जाता है। तहसीलदार घंटियाली द्वारा निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री की पालना में सभी पक्षकारान् के हिस्से की भूमि विभाजन प्रस्ताव में अलग किये जाने के बजाय केवल वादी एवं प्रतिवादीगण की भूमि दर्शाते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाना प्रकट होता है जो प्रथमदृष्टया विधिसम्मत नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य पर गौर किये बिना तथा अपीलार्थी को आपत्तियॉ प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना, विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुति के दिन ही नियम विरूद्ध तैयार विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधिक प्रावधानों एवं प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत पारित किये जाने पाये जाते है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री विधि विरूद्ध पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरते है।

वस्तुतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाप द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 186/2024 अनवान आसीदेवी व अन्य बनाम गंगाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17 फरवरी 2025 खारिज किये जाकर मामला विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि वह उभय पक्ष की उपस्थिति में नियम 18 से 21 की पालना सुनिश्चित करते हुए तहसीलदार घंटियाली से विधिनुसार विभाजन प्रस्ताव तलब कर उस पर उभय पक्ष को आपत्तियॉं प्रस्तुत करने तथा सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधिनुसार वाद का निस्तारण करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर